

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 सत्र

कैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 14 नवम्बर, 2002 (कार्तिक 23, 1924)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः विलित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्रीमती जमुना देवी, उप मुख्यमंत्री (महिला एवं बाल विकास), मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा-14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97, 1999-2000 तथा 2000-2001 पटल पर रखेंगी।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह लोमर, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, खंडला जिले के बुरहानपुर एवं नेपानगर बन मंडल शेत्रों में अवैध कटाई कर अतिक्रमण किये जाने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर नगर में सार्वजनिक विलरण प्रणाली से केरोसीन विलरण में अनियमितता होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. ग्रामोद्योग मंत्री का वक्तव्य

श्री के. पी. सिंह, ग्रामोद्योग मंत्री, दिनांक 28 जुलाई, 2000 तथा दिनांक 10 नवम्बर, 2000 को पूछे गये क्रमांक: अलाराकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 445) एवं अलाराकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 211) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन), प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिचाई (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 23 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मि.

(2) श्री पुरस लिंगायत, राज्य मंत्री, जनशिक्षायात निवारण, प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल द्वारा लौटाये गये मध्यप्रदेश जानकारी प्राप्त करने का अधिकार विधेयक, 1998 (क्रमांक 16 सन् 1998) पर पुनर्विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा
30 मि.

प्रदेश में विद्युत संकट तथा कषकों को विद्युत वेप कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री कमल पटेल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरेश सिंह पटेल, रामपाल सिंह, नरेन्द्र विरथरे, कैलाश विजयवर्गीय, राजेन्द्र भारती (दतिया), लक्ष्मीकृत शर्मा, कुंबर विजय शाह, सर्वश्री रसाल सिंह, हिम्मत कोठारी, भूपेन्द्र सिंह, लाल सिंह, राव देशराज सिंह यादव तथा डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे।

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घन्टे

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पालन प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक पर चर्चा।

भोपाल :
दिनांक : 13 नवम्बर, 2002

डॉ. प. के. पद्मासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा,